

(a) the number of forms pertaining to his Ministry and its attached and subordinate offices which have not so far been translated into Hindi and have also not been sent as yet for translation either to the Ministry of Education or to the Ministry of Law; and

(b) by when these forms are likely to be sent for translation into Hindi to the authorities concerned?]

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :

(क) और (ख) सूचना इस वक्त प्राप्त नहीं है। इस सूचना को प्राप्त करने में जो श्रम और समय लगेगा वह उसके नतीजे को देखते हुए ज्यादा होगा।

†[THE DEPUTY MINISTER OF LABOUR (SHRI ABID ALI): (a) and (b) The information is not readily available. The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the object to be achieved.]

प्रतिवेदन तथा प्रकाशन हिन्दी में

३२३. श्री एल० ललित माधव शर्मा : क्या श्रम तथा सेवानियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय से सन् १९६० में कितने प्रतिवेदन तथा प्रकाशन निकाले गये और उनमें से कितने हिन्दी में प्रकाशित किये गये ;

(ख) क्या भविष्य में इन प्रतिवेदनों तथा प्रकाशनों को हिन्दी में भी निकालने का प्रबन्ध किया जा रहा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'ना' हो तो इसके क्या कारण हैं ?

†[REPORTS AND PUBLICATIONS IN HINDI

323. SHRI L. LALIT MADHOB SHARMA: Will the Minister of

LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of reports and publications which were brought out by the Office of the Chief Labour Commissioner in the year 1960 and how many of them were published in Hindi;

(b) whether arrangement is being made for bringing out these reports and publications in Hindi also in future; and

(c) if the answer to part (b) above be in the negative, what are the reasons therefor?]

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :

(क) प्रतिवेदन ७ ; प्रकाशन कोई नहीं ।

(ख) और (ग) जब जरूरत होगी इन प्रतिवेदनों को हिन्दी में भी प्रकाशित किया जायगा ।

†[THE DEPUTY MINISTER OF LABOUR (SHRI ABID ALI): (a) Reports—7; Publications—nil.

(b) and (c) Hindi version of the reports will be brought out wherever found necessary.]

ट्रेड यूनियनों को हिन्दी में पत्र तथा परिपत्र

३२४. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या श्रम तथा सेवानियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों से हिन्दी भाषी प्रदेशों में ट्रेड यूनियनों को भेजे जाने वाले पत्र तथा परिपत्र हिन्दी में या उनके हिन्दी अनुवाद के साथ भेजे जाते हैं; और यदि नहीं, तो कब तक ऐसी व्यवस्था हो जायेगी ?

†[LETTERS AND CIRCULARS TO TRADE UNIONS IN HINDI

324. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state